छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

::मंत्रालय::

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492001.

--

क्रमांक 673/2007/ब-1/चार, रायपुर, दिनांक 05/10/2007.

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
---------- विभाग,
मंत्रालय, रायपुर।

विषयः- वर्ष 2007-2008 के त्रैमासिक आय-व्यय की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त ।

--

वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2007-2008 के प्रथम त्रैमास की ली गई आय-व्यय की समीक्षा बैठक दिनांक 03 तथा 05 सितम्बर, 2007 का कार्यवृत्त संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(अल्पना घोष)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र. 674/2007/ब-1/चार रायपुर, दिनांक 05/10/2007

प्रतिलिपिः-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर सूचनार्थ ।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव वित्त की ओर सूचनार्थ ।
3. विशेष/संयुक्त/उप/समस्त अवर सचिव वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

दिनांक 03 तथा 05 सितम्बर, 2007 को आयोजित की गई आय-व्यय की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 03 तथा 05 सितम्बर, 2007 को आय-व्यय की प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठक ली गई । बैठक में वर्ष 2007-2008 के बजट प्रावधान के विरूद्ध प्रथम तिमाही, 2007 तक किये गये आय-व्यय पर चर्चा की गई । चर्चा उपरांत विभिन्न विभागों की स्थिति निम्नानुसार है:-

गृह विभाग

पुलिस विभाग के अंतर्गत प्रथम तिमाही में बजट प्रावधान के विरूद्ध आयोजनेत्तर में 17 प्रतिशत व्यय एवं आय के अंतर्गत 48 प्रतिशत का राजस्व प्राप्त किया गया है। पुलिस आधुनिकीकरण मद में प्रावधानित राशि रूपये 70.00 करोड़ के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया है । सुरक्षा प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत विगत वर्षो में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से बहुत कम प्राप्त हुआ है । भारत रक्षित बटालियन के लिए भारत सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई है, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया ।

विभाग को समय पर अनुपातिक रूप से व्यय सुनिश्चित करने एवं भारत सरकार से अधिकाधिक प्रतिपूर्ति हेतु प्रयास करने के निर्देश दिये गये ।

प्रथम तिमाही में बजट प्रावधान के विरुद्ध होमगार्ड के अन्तर्गत 16.40 प्रतिशत, सैनिक कल्याण के अन्तर्गत 23.49 प्रतिशत, संपदा संचालनालय के अन्तर्गत 6.13 प्रतिशत व्यय किया गया है ।

जेल विभाग

जेल विभाग के अंतर्गत प्रथम तिमाही में बजट प्रावधान के विरूद्ध आयोजनेत्तर में 21.44 प्रतिशत व्यय एवं आय में 12.15 प्रतिशत का राजस्व प्राप्त किया गया है। विभाग को आय के लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया ।

परिवहन विभाग

परिवहन विभाग के अंतर्गत प्रथम तिमाही में बजट प्रावधान के विरूद्ध आयोजनेत्तर में 10.00 प्रतिशत व्यय एवं आय में 21.00 प्रतिशत का कर राजस्व अर्जित होना बताया गया है। राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य को पुनरीक्षित अनुमान में बढ़ाने के प्रयास करने के निर्देश दिये गये ।

विमानन विभाग

विमानन विभाग के अंतर्गत प्रथम तिमाही में बजट प्रावधान के विरूद्ध आयोजनेत्तर में 2.76 प्रतिशत व्यय एवं आय में 23.57 प्रतिशत का राजस्व प्राप्त किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग:-

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रथम तिमाही में बजट प्रावधान के विरूद्ध आयोजनेत्तर में 8.34 प्रतिशत, राज्य आयोजना मद में 3.62 प्रतिशत, केन्द्र प्रवर्तित योजना में 9.20 प्रतिशत एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना में 11. 13 प्रतिशत व्यय किया गया है । विभाग द्वारा अत्यंत कम व्यय किया गया है । अत: समय पर अनुपातिक रुप से व्यय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये ।

श्रम विभाग

श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत प्रथम तिमाही में बजट प्रावधान के विरूद्ध आयोजनेत्तर में 18.04 प्रतिशत व्यय एवं आय में 9.85 प्रतिशत का राजस्व प्राप्त किया गया है। राज्य आयोजना मद एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना/केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं बताया गया है ।

कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के अंतर्गत प्रथम तिमाही में बजट प्रावधान के विरूद्ध आयोजनेत्तर में 22.33 प्रतिशत एवं राज्य आयोजना के अर्न्तगत 4.68 प्रतिशत व्यय किया गया है । विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली से अधिकाधिक अंशदान प्राप्त करने पर बल दिया गया ।

औद्यौगिक न्यायालय के अंतर्गत प्रथम तिमाही में बजट प्रावधान के विरूद्ध आयोजनेत्तर के अन्तर्गत 12.13 प्रतिशत व्यय एवं आय 38.00 प्रतिशत प्राप्त होना बताया गया है ।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रथम तिमाही में बजट प्रावधान के विरूद्ध आयोजनेत्तर में 15.08 प्रतिशत एवं राज्य आयोजना में 0.15 प्रतिशत व्यय किया गया है। केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत कोई व्यय नहीं बताया गया है । विभाग को समय पर अनुपातिक रुप से व्यय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये ।

लोक निर्माण विभाग

लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 के प्रथम त्रैमास में आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 392.66 करोड़ के विरूद्ध रूपये 84.86 करोड़ राशि व्यय किया गया जो 21.61 प्रतिशत है । राज्य आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 11503.50 करोड़ के विरूद्ध रूपये 207.56 करोड़ का व्यय किया गया जो 13.80 प्रतिशत है ।

प्रथम त्रैमास में राजस्व प्राप्ति रूपये 4.36 करोड़ प्राप्त हुई जो 16.93 प्रतिशत है । विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्र के भवनों तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत लक्ष्य से काफी कम व्यय किया गया है । विभाग को इन मदों से संबंधित कार्यो में गति लाने का सुझाव दिया गया ।

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 के प्रथम त्रैमास में आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 68.05 करोड के विरूद्ध रूपये – 16.97 करोड़ राशि व्यय किया गया जो 24.9 प्रतिशत है । राज्य आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 891.92 करोड़ के विरूद्ध रूपये 152.02 करोड़ का व्यय किया गया जो 17.04 प्रतिशत है । केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत रूपये 14.89 करोड का व्यय किया गया जो 17.50 प्रतिशत है । केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत रूपये 25.56 लाख के विरूद्ध रूपये 17.10 लाख का व्यय किया गया जो 12.88 प्रतिशत है ।

प्रथम त्रैमास में राजस्व प्राप्ति रूपये 17.50 करोड़ प्राप्त हुई जो 13.41 प्रतिशत है । विभाग को राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हेतु अधिक प्रयास करने का परामर्श दिया गया ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 के प्रथम त्रैमास में आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 64.82 करोड़ के विरूद्ध रूपये 7.06 करोड़ राशि व्यय किया गया जो 10.90 प्रतिशत है। राज्य आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 321.40 करोड़ के विरूद्ध रूपये 28.62 करोड़ का व्यय किया गया जो 8.91 प्रतिशत है । केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत रूपये 94.23 करोड़ के विरूद्ध रूपये 20.44 करोड़ का व्यय किया गया जो 21.69 प्रतिशत है । केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत रूपये 100.00 लाख के विरूद्ध रूपये 12.88 लाख का व्यय किया गया जो 12.88 प्रतिशत है । राज्य योजना मद में कार्यो की प्रगति

अत्यन्त धीमी रही । विभाग को जल प्रदाय योजना से संबंधित कार्यो में गति हेतु विशेष प्रयत्न करने का सुझाव दिया। प्रथम त्रैमास में राजस्व प्राप्ति रूपये 97.08 लाख प्राप्त हुई जो 37.74 प्रतिशत है ।

वन विभाग

वन विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 के प्रथम त्रैमास में आयोजनेत्तर मद में रूपये 58.07 करोड़ राशि व्यय किया गया जो 19.73 प्रतिशत है । राज्य आयोजना मद में रूपये 4.28 करोड़ का व्यय किया गया जो 3.38 प्रतिशत है । केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत रूपये 13.01 लाख का व्यय किया गया । केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया ।

प्रथम त्रैमास में राजस्व प्राप्ति रूपये 75.16 करोड़ प्राप्त हुई जो 23.49 प्रतिशत है । आयोजना मद में अत्यन्त कम व्यय के औचित्य में विभाग द्वारा यह मत व्यक्त किया कि प्रथम त्रैमास अप्रैल से जून तक विभागीय अमला तेंदूपत्ता तथा साल-बीज व्यापार से संबंधित कार्यो में व्यस्त रहता है अत: इन माहों में विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है ।

पर्यटन विभाग

पयर्टन विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 के प्रथम त्रैमास में आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 3000.00 लाख के विरूद्ध रू 2446.24 लाख राशि व्यय किया गया जो 81.54 प्रतिशत है । । प्रथम त्रैमास में रूपये 2.13 लाख राजस्व प्राप्ति हुई है ।

संस्कृति विभाग

संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 के प्रथम त्रैमास में आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 483.88 लाख के विरूद्ध रूपये 101.56 लाख राशि व्यय किया गया जो 20.98 प्रतिशत है। राज्य आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 853.31 लाख के विरूद्ध रूपये 256.27 लाख का व्यय किया गया जो 30.03 प्रतिशत है । केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया ।

प्रथम त्रैमास में राजस्व प्राप्ति रूपये 1.31 लाख प्राप्त हुई जो 66 प्रतिशत है ।

वित्त विभाग

वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि सम्परीक्षा संचालनालय द्वारा वर्ष 2007-08 के प्रथम त्रैमास में आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 409.97 लाख के विरूद्ध रूपये 85.85 लाख राशि व्यय किया गया जो 21 प्रतिशत है। संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेशन के अंतर्गत आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 7991.41 लाख के विरूद्ध 533.48 लाख व्यय किया गया है जो 6.68 प्रतिशत है। अल्पबचत एवं राज्य लॉटरी द्वारा 53.17 लाख के विरूद्ध 11 लाख का व्यय किया गया है जो 14.60 प्रतिशत अल्प बचत एवं राज्य लॉटरी द्वारा 600 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध अब तक 107 करोड की आय अर्जित की है । संचालनालय संस्थागत वित्त के अंतर्गत रूपये 36.87 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध रूपये 2.88 लाख का व्यय किया है जो 7.81 प्रतिशत है ।

वाणिज्यिकर विभाग

आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत आयुक्त, वाणिज्यिकर द्वारा रूपये 1611.56 लाख के विरूद्ध रूपये 344.19 लाख का व्यय किया गया जो 21.35 प्रतिशत है। विभाग के राजस्व प्राप्ति के रूपये 3920.60 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध प्रथम तिमाही में रूपये 635.49 करोड़ की आय अर्जित की जो लक्ष्य का 16.21 प्रतिशत है। राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य से कम होने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा प्रथम त्रैमास में रूपये 4125. 31 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध रूपये 118.06 लाख का व्यय किया गया जो 2.86 प्रतिशत है । राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत 435.22 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध 111.94 करोड़ की आय अर्जित की गयी जो लक्ष्य का 25.72 प्रतिशत है। विभागीय आय प्रथम तिमाही में आशा के अनुरूप रही ।

योजना विभाग

योजना विभाग के अंतर्गत राज्य योजना मण्डल द्वारा आयोजनेत्तर मद में रूपये 66.76 लाख के प्रावधान के विरूद्ध प्रथम तिमाही में रूपये 11.79 लाख का व्यय किया गया जो 17.66 प्रतिशत है । आयोजना मद में विभाग द्वारा रूपये 5408.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रूपये 325.11 लाख का व्यय किया गया जो 6.01 प्रतिशत है । आयोजना मद में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत व्यय की कमी पर चिंता व्यक्त की गई ।

आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय द्वारा आयोजनेत्तर मद में रूपये 504.05 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रूपये 96.00 लाख का व्यय किया गया है जो 19. 05 प्रतिशत है। आयोजना मद में रूपये 8.90 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रूपये 0.10 लाख का व्यय किया गया जो 1.12 प्रतिशत है । संचालनालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया ।

आवास एवं पर्यावरण विभाग

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में रूपये 258.38 लाख के विरूद्ध रूपये 46.44 लाख का व्यय किया जो 17.97 प्रतिशत है । राज्य आयोजना मद में विभाग द्वारा रूपये 11158.66 लाख के विरूद्ध रूपये 15.85 लाख व्यय किया गया जो 0.14 प्रतिशत है । आयोजना मद में अत्यन्त कम व्यय होने के संबंध में विभाग द्वारा यह मत रखा गया कि नयी राजधानी हेतु प्रावधानित राशि में प्रथम तिमाही में कोई व्यय नहीं हो पाया ।

राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत प्रावधानित राशि रूपये 30.00 लाख के विरूद्ध प्रथम तिमाही में रूपये 2.43 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया है जो 7.50 प्रतिशत है ।

समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में रूपये 12982.24 लाख के विरूद्ध रूपये 3585.76 लाख का व्यय किया जो 27.62 प्रतिशत है । राज्य आयोजना मद में विभाग द्वारा रूपये 8155.84 लाख के विरूद्ध रूपये 2344.42 लाख व्यय किया गया जो 28.75 प्रतिशत है ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 के प्रथम त्रैमास में आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 41653.39 लाख के विरूद्ध रूपये 9961.29 लाख राशि व्यय किया गया जो 23.91 प्रतिशत है । राज्य आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 43076. 92 लाख के विरूद्ध रूपये 1653.36 लाख का व्यय किया गया जो 3.83 प्रतिशत है । केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत रूपये 2761.50 लाख का व्यय किया गया जो 15.17 प्रतिशत है ।

प्रथम त्रैमास में विभाग द्वारा दिये गये राजस्व प्राप्ति के आंकडे महालेखाकार के राजस्व प्राप्ति आंकड़ों से मेल नहीं खाने के कारण विभाग को

महालेखाकार कार्यालय से पुनर्मिलान कर आंकड़े उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा वर्ष 2007-08 के प्रथम त्रैमास में आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 1183.54 लाख के विरूद्ध रूपये 177. 54 लाख राशि व्यय किया गया जो 15 प्रतिशत है । विकासखण्ड कार्यालय में स्थापना व्यय आनुपातिक रूप से कम हुआ है । विभाग को पुनरीक्षित अनुमान में इसे कम करने के निर्देश दिये गये । राज्य आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 527.67 करोड़ के विरूद्ध रूपये 70.43 करोड़ का व्यय किया गया जो 13 प्रतिशत है । केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत रूपये 11.48 लाख का व्यय किया गया जो 5 प्रतिशत है । भारत सरकार की योजनाओं में जिन योजनाओं में आनुपातिक रूप में कम राशि प्राप्त हुई हैं , उनमें संबंधित मंत्रालय से संपर्क कर अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने के प्रयास किये जाने का सुझाव दिया गया । राजस्व प्राप्ति रूपये 15.11 लाख प्राप्त हुई जो 4.21 प्रतिशत है ।

पंचायत विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 के प्रथम त्रैमास में आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 382.40 करोड़ के विरूद्ध रूपये 32.68 करोड़ राशि व्यय किया गया जो 9 प्रतिशत है । आयोजनेत्तर व्यय में कमी मुख्यत: शिक्षाकर्मियों के वेतन हेतु अनुदान मद में कम व्यय, 12 वें वित्त आयोग की राशि का प्रथम त्रैमास में प्राप्त न होना तथा मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान में कम व्यय के कारण है। राज्य आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 185.19 करोड़ के विरूद्ध रूपये 1.40 लाख का व्यय किया गया जो 1 प्रतिशत है । राज्य आयोजना में व्यय में कमी मुख्यत: ग्राम उत्कर्ष योजना, ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना तथा ग्राम गौरव योजना के अंतर्गत् प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण व्यय नहीं होने के कारण है । राजस्व प्राप्ति रूपये 2.57 लाख प्राप्त हुई जो 5 प्रतिशत है ।

सहकारिता विभाग

विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 की प्रथम तिमाही में आयोजनेत्तर मद में 22.70 प्रतिशत तथा राज्य आयोजना मद में 12.10 प्रतिशत व्यय किया गया है जो कि गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमश: 1.21 प्रतिशत तथा 12.10 प्रतिशत अधिक है । विभाग को राज्य आयोजना की योजनाओं में समानुपातिक व्यय करने के निर्देश दिये गये ।

कृषि विभाग

संचालनालय कृषि व्दारा प्रथम तिमाही में आयोजनेत्तर मद में 16 प्रतिशत, राज्य आयोजना में 15 प्रतिशत, केन्द्र प्रवर्तित योजना में 01 प्रतिशत, तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजना में कोई व्यय नहीं किया गया है । गत वर्ष की तुलना में प्रथम तिमाही में आयोजनेत्तर व्यय में कमी को देखते हुए विभाग को पुनरीक्षित अनुमान में संबधित मदों में बजट प्रावधान कम करने के निर्देश दिये गये । राज्य आयोजना में व्यय को बढाने तथा केन्द्र प्रवर्तित व केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से राशि प्राप्त करने हेतु और प्रयास करने के निर्देश दिये गये ।

उद्यानिकी विभाग व्दारा आयोजनेत्तर मद में अप्रैल, 2007 से जून, 2007 की अवधि में 19.12 प्रतिशत तथा राज्य आयोजना में 2.43 प्रतिशत व्यय किया गया है जो कि गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 0.58 प्रतिशत तथा 1.78 प्रतिशत अधिक है ।

कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत अप्रैल, 2007 से जून, 2007 तक बजट प्रावधान के विरूद्ध आयोजनेत्तर मद में 20 प्रतिशत व्यय तथा राज्य आयोजना में 14 प्रतिशत व्यय किया गया है ।

खाद्य विभाग

माह अप्रैल, 2007 से जून, 2007 तक की अवधि में आयोजनेत्तर मद में 1.99 प्रतिशत तथा राज्य आयोजना मद में 12.32 प्रतिशत व्यय किया गया है जो गत वर्ष के तुलना में संतोषप्रद है । आयोजनेत्तर मद की मुख्य योजनाओं में व्यय वर्षान्त में होता है अतः प्रथम तिमाही में व्यय समानुपातिक नहीं है ।

पशुपालन विभाग

विभाग व्दारा अप्रैल, 2007 से जून, 2007 तक आयोजनेत्तर मद में 22. 88 प्रतिशत तथा आयोजना मद में 0.20 प्रतिशत एवं केन्द्र प्रवर्तित तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अतंर्गत कोई व्यय नहीं किया गया है । विभाग को इस संबंध में केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से संपर्क कर इन योजनाओं की प्राप्तियां शीघ्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया ।

मछलीपालन विभाग

विभाग व्दारा अप्रैल, 2007 से जून, 2007 तक आयोजनेत्तर मद में 22.73 प्रतिशत तथा आयोजना मद में 2.98 प्रतिशत व्यय किया है। आयोजना मद में

कम व्यय का मुख्य कारण केन्द्र सरकार से इन योजनाओं की राशि प्राप्त न होना तथा राज्य आयोजना में कुछ योजनाओं में विभागाध्यक्ष स्तर पर क्रय प्रक्रिया अपनाने के कारण व्यय नहीं किया जा सका । व्दितीय तिमाही में इसे पूर्ण कर लिये जाने का आश्वासन विभाग व्दारा दिया गया ।

राजस्व विभाग

विभाग के द्वारा वर्ष 2007-08 के बजट प्रावधान के विरूद्ध आयोजनेत्तर मद में 13 प्रतिशत, केन्द्र प्रवर्तित योजना में 1.35 प्रतिशत तथा केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना में 1 प्रतिशत व्यय किया गया है ।

खनिज साधन विभाग

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में 71 प्रतिशत तथा राज्य आयोजना म्द में 65 प्रतिशत राशि व्यय की गई ।

ऊर्जा विभाग

विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के बजट में आयोजनेत्तर मद में 12 प्रतिशत व्यय हुआ । राज्य आयोजना अंतर्गत 8.02 प्रतिशत व्यय हुआ ।

सामान्य प्रशासन विभाग

विभाग के अंतर्गत आयोजनेत्तर मद में रूपये 52.74 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध रूपये 9.05 करोड़ का व्यय हुआ है जो 17.16 प्रतिशत है ।

ग्रामोद्योग विभाग

विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 आयोजनेत्तर मद में प्रावधानित राशि रूपये 2731.00 लाख के विरूद्व 19 प्रतिशत तथा राज्य आयोजना मद में रूपये 5.64 लाख के विरूद्व 0.82 प्रतिशत राशि व्यय की गई। विभाग की समीक्षा के दौरान व्यय पर संतोष व्यक्त किया गया ।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 आयोजनेत्तर मद में प्रावधानित राशि रूपये 153.71 लाख के विरूद्व 16.17 प्रतिशत तथा राज्य आयोजना मद में रूपये 610.66 लाख के विरूद्व 4.45 प्रतिशत राशि व्यय की गई। विभाग की समीक्षा के दौरान व्यय पर संतोष व्यक्त किया गया ।

सूचना प्रौद्यौगिकी एवं जैव प्रौद्यौगिकी विभाग

विभाग के अंतर्गत आयोजनेत्तर मद में रूपये 10.50 लाख के प्रावधान के विरूद्ध व्यय नहीं हुआ है ।

स्कूल शिक्षा विभाग:-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 638.76 करोड़ के विरूद्व रूपये 121.86 करोड का व्यय किया गया हैं, जो कि 19 प्रतिशत हैं । आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 625.60 करोड़ के विरूद्व रूपये 21.97 करोड़ का व्यय किया गया हैं, जो कि 3.51 प्रतिशत हैं । केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत विभाग द्वारा रूपये 69.53 करोड़ के विरूद्व 0.88 करोड़ का व्यय किया गया हैं, जो कि 1.26 प्रतिशत हैं । केन्द्र क्षेत्रीय योजनांतर्गत रूपये 638.88 करोड़ के विरूद्व रूपये 1.14 करोड़ ही व्यय किया गया हैं, जो कि 0.18 प्रतिशत हैं । इस मद में व्यय की कमी का मुख्य कारण केन्द्र शासन से डाइट एवं अन्य योजनाओं में राशि का प्राप्त न होना हैं । विभाग को इस हेतु समुचित प्रयास करने के निर्देश दिये गये ।

उच्च शिक्षा विभाग:-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 103.86 करोड़ के विरूद्व रूपये 16.53 करोड़ का व्यय किया गया हैं, जो कि 15.92 प्रतिशत हैं । आयोजना मद में बजट प्रावधान 76.18 करोड़ के विरूद्व रूपये 4.82 करोड़ व्यय किया गया हैं, जो कि 6.59 प्रतिशत हैं । केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत विभाग द्वारा रूपये 2.82 करोड़ के विरूद्व 0.023 करोड़ का व्यय किया गया हैं, जो कि 0.08 प्रतिशत हैं । केन्द्र क्षेत्रीय योजनान्तर्गत रूपये 0.11 करोड़ के विरूद्व 0.037 करोड़ व्यय किया गया हैं, जो कि 3.34 प्रतिशत हैं ।

केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजना मद में कम व्यय होने पर चिंता व्यक्त की गई एवं विभाग को भविष्य में केन्द्र शासन से शीघ्र राशि विमुक्त कराने एवं समय पर व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद:-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 0.72 करोड़ के विरूद्व रूपये 0.18 करोड़ का व्यय किया गया हैं, जो कि 25.72 प्रतिशत हैं । आयोजना मद में बजट प्रावधान 6.95 करोड़ के विरूद्व रूपये 0.14 करोड़ व्यय

किया गया है, जो कि 2.02 प्रतिशत है । विभाग को आयोजना मद की राशि को समानुपातिक रूप से व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया ।

तकनीकी शिक्षा विभाग:-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 26.66 करोड़ के विरूद्व रूपये 4.03 करोड़ का व्यय किया गया है, जो कि 15.11 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान 23.93 करोड़ के विरूद्व 0.32 करोड़ व्यय किया गया है,जो कि 01.35 प्रतिशत है । विभाग को इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने हेतु कहा गया । विभाग द्वारा मशीनों एवं उपकरण क्रय करने की कार्यवाही को प्रक्रियाधीन बताया गया ।

जनशक्ति नियोजन विभाग:-

(प्रशिक्षण पक्ष)

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 17.45 करोड़ के विरूद्व रूपये 3.30 करोड़ का व्यय किया गया है, जो कि 18.93 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान 25.58 करोड़ के विरूद्व रूपये 0.44 करोड़ व्यय किया गया है,जो कि 1.74 प्रतिशत है ।केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत विभाग द्वारा रूपये 6.82 करोड़ के विरूद्व 0.12 करोड़ का व्यय किया गया है, जो कि 1.75 प्रतिशत है । विभाग को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि के समुचित उपयोग एवं सात नवीन आई.टी.आई. शीघ्र प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया । इसके अतिरिक्त जनजागरण शिविरार्थीयों के तकनीकी प्रशिक्षण हेतु प्रयासों में तेजी लाने हेतु कहा गया ।

(रोजगार पक्ष)

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 3.75 करोड़ के विरूद्व रूपये 0.54 करोड़ का व्यय किया गया है, जो कि 14.3 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान 8.49 करोड़ के विरूद्व रूपये 0.39 करोड़ व्यय किया गया है,जो कि 4.59 प्रतिशत है । अव्ययित राशि के संबंध में बेरोजगारी भत्ते का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिये गये ।

जनसंपर्क विभाग:-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 20.55 करोड़ के विरूद्व रूपये 5.79 करोड़ का व्यय किया गया हैं, जो कि 28.2 प्रतिशत हैं । आयोजना मद में बजट प्रावधान 0.60 करोड़ के विरूद्व प्रथम तिमाही में कोई व्यय नही किया गया ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग:-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 184.48 करोड़ के विरूद्ध रूपये 23.70 करोड़ का व्यय किया गया है, जो कि 12.85 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 172.59 करोड़ के विरूद्ध रूपये 10.84 करोड़ का व्यय किया गया है जो कि 6.28 प्रतिशत है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत विभाग द्वारा रूपये 21.22 करोड़ के विरूद्ध रूपये 4.77 करोड़ का व्यय किया गया है, जो कि 22.45 प्रतिशत है । केन्द्र क्षेत्रीय योजनांतर्गत रूपये 80.42 करोड़ के विरूद्ध रूपये 15.40 करोड़ व्यय किया गया है, जो कि 19.15 प्रतिशत है ।

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम योजनांतर्गत बजट प्रावधान रूपये 25.76 करोड़ के विरूद्ध व्यय निरंक है ।विभाग की स्थापना व्यय में कमी को देखते हुए अतिरिक्त राशि का समर्पण करने को कहा गया ।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन:-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 1.29 करोड़ के विरूद्ध 0.12 करोड़ का व्यय किया गया है जो कि 9.26 प्रतिशत है। आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 0.83 करोड़ के विरूद्ध रूपये 0.05 करोड़ व्यय किया गया है जो कि 6.29 प्रतिशत है। विभाग को रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग:-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 37.71 करोड़ के विरूद्ध रूपये 3.20 करोड़ का व्यय किया गया है जो कि 8 प्रतिशत है। आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 70.93 करोड़ के विरूद्ध रूपये 2.07 करोड़ का व्यय किया गया है जो कि 3 प्रतिशत है । विभाग को स्थापना व्यय में अत्यंत कम राशि व्यय होने की स्थिति में अतिशेष राशि का समर्पण करने की

कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। विभाग को रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने एवं आवश्यक उपकरणों की राशि को व्यय करने के निर्देश दिये गये।

भारतीय चिकित्सा पद्यति एवं होम्योपैथी:-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 33.72 करोड़ के विरूद्ध रूपये 6.27 करोड़ का व्यय किया गया है, जो कि 18.59 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 33.79 करोड़ के विरूद्ध रूपये 1.95 करोड़ का व्यय किया गया है, जो कि 0.05 प्रतिशत हे । विभाग को आयोजना मद में जिला ऐलोपेथी चिकित्सालयों की स्थापना मद में **ICMCH WING** हेतु प्रावधनित राशि रूपये 22.89 करोड़ में से कोई भी राशि व्यय न करने पर असंतोष व्यक्त किया गया व उक्त राशि को यथोचित रूप से व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया ।

विधि एवं विधायी कार्य विभाग:-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 75.79 करोड़ के विरूद्ध रूपये 12.63 करोड़ का व्यय किया गया है जो कि 17 प्रतिशत है। आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 11.41 करोड़ के विरूद्ध रूपये 0.66 करोड़ का व्यय किया गया है जो कि 6 प्रतिशत है। केन्द्र प्रवर्तित योजना में रूपये 0.11 करोड़ का प्रावधान है जिसके विरूद्ध रूपये 0.024 करोड़ व्यय किया गया है जो कि 21.81 प्रतिशत है ।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग:-

विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास उप योजना एवं विशेष घटक योजना आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 487.08 करोड़ के विरूद्ध रूपये 97.57 करोड़ का व्यय किया गया है जो कि 20.03 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 619.98 करोड़ के विरूद्ध रूपये 52.52 करोड़ प्रथम तिमाही में व्यय किया गया है जो कि 8.47 प्रतिशत है । केन्द्र प्रवर्तित योजना में बजट प्रावधान रूपये 83.19 करोड़ है जिसके विरूद्ध रूपये 3.07 करोड़ का व्यय किया गया है जो कि 3.70 प्रतिशत है । केन्द्र क्षेत्रीय योजना में रूपये 5.96 करोड़ का प्रावधान है जिसके विरूद्ध 0.15 करोड़ रूपये का व्यय किया गया हैं।